न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाडा जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारीः अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—39 / 2024 प्रार्थना पत्र **दायर तारीख**— 02.09.2024

उनवान

1. कमला देवी पुत्री नारू जाति गुर्जर, पत्नी भैरू लाल गुर्जर, उम्र वयस्क निवासी सुन्दरपुरा हाल निवासी लावड़ों का बाड़ा गुरला तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीया

बनाम

1. सायरी देवी पत्नी नारू, जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी सुन्दरपुरा हाल निवासी लावड़ों का बाड़ा गुरला तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. हंजा देवी पुत्री नारू जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी सुन्दरपुरा हाल निवासी लावड़ों का बाड़ा गुरला तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।
4. उपपंजीयक महोदय भीलवाड़ा

विपक्षीगण

वादपत्र अन्तग्रत धारा 53, 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत् घोषणा, खातेदारी अधिकार, विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा में

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :—

1— अधिवक्ता प्रार्थीया श्री अम्बालाल कुमावत उपस्थित

2— अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 व 2 श्री किशन लाल कुमावत उपस्थित

3. विपक्षी संख्या 3 ~~व 4~~ की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित

: निर्णय :

दिनांकः—28.10.2024

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 3 के सम्मन बाद तामील प्राप्त, अप्रार्थी संख्या 4 के नोटिस बाद तामील अप्राप्त। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस करने हेतु दिनांक 17.10.2024 को निवेदन किया गया तथा अप्रार्थी संख्या 3 व 4 का कोई हित निहित नहीं होने से उनका जवाब प्रस्तुत नहीं करने अथवा प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 4 की तामील नहीं कराने पर भी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा सीधे ही बहस सुनकर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण करने का निवेदन किया गया।

28/10/24

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 व 4 का कोई हित निहित नहीं होने का तथ्य स्वीकार किये जाने पर पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 21.10.2024 को नियत की गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दिनांक 21.10.2024 को बहस हेतु पुनः एक दिवस का अवसर चाहा गया, अवसर दिया जाकर बहस दिनांक 22.10.2024 को सुनी गई। बहस उभयपक्षकारान सुनी जाकर पत्रावली वास्ते आदेश/निर्णय हेतु दिनांक 28.10.2024 को नियत की गई।

दौराने बहस अप्रार्थी संख्या 1 व 2 अधिवक्ता द्वारा पंजीकृत हक त्याग पत्र दिनांक 12.06.2024 की प्रति पेश की गई, शामिल मिसल किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिये विधि के सुस्थापित तीन बिन्दुओं पर विचार विमर्श करना होता है–

1. प्रथम दृष्टया मामला
2. सुविधा का संतुलन
3. अपूरणीय क्षति।

1. **प्रथम दृष्टया मामलाः**– प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थिया द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89, 53 एवं 188 में घोषणा खातेदारी विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा के वाद के साथ उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। वादीया/प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत वाद में अन्तर्ग्रस्त विवादित भूमि पैतृक संयुक्त सहखातेदारी भूमि है, उक्त भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की संयुक्त कब्जे काश्त की है तथा अविभाजित है। जिसमें प्रत्येक इंच पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का संयुक्त कब्जा है। सहखातेदारी भूमि एवं संयुक्त कब्जा काश्त की भूमि होने से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को वादग्रस्त भूमि का बिना विभाजन कराये विक्रय/बेचान करने का अधिकार नहीं है। अप्रार्थी सख्या 1 व 2 को वादग्रस्त भूमि पैतृक संयुक्त खातेदारी भूमि होने से बेचान, रहन, बक्शीश, अन्तरण नहीं करने हेतु मूलवाद के निस्तारण तक पाबंद किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 अधिवक्ता द्वारा वादग्रस्त भूमि विरासतन प्राप्त होना स्वीकार करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा वाद/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व ही दिनांक 12.06.2024 को पंजीकृत हक त्याग पत्र से अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपना हक हिस्सा अप्रार्थी संख्या 2 को अन्तरित कर दिया है। जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु नामान्तरण संख्या 866 दिनांक 12.08.2024 से प्रक्रियाधीन है, माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 02.09.2024 को पारित अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के कारण इसका निर्णय शेष है।

अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में कराया गया पंजीकृत हक त्याग पत्र पूर्णतया वैद्य है तथा किसी भी न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है, अतः पंजीकृत हकत्याग पत्र दिनांक 12.06.2024 के वैद्य होने से माननीय न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज किया जावे।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अप्रार्थी अधिवक्ता की बहस को काउण्टर करते हुये निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि होने से मूलवाद के निस्तारण तक अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को स्थाई (Confirm) किया जावे।

उभयपक्ष की बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन उपरांत यह प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में पंजीकृत हकत्याग पत्र दिनांक 12.06.2024 से अन्तरित की जा चुकी है, पंजीकृत हकत्याग पत्र के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु

28/10/24

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

नामान्तरण दर्ज हो चुका है। विधिक रूप से पंजीकृत हकत्याग पत्र वैद्य है और पंजीकृत हकत्यागपत्र किसी भी न्यायालय द्वारा शून्य एवं अवैद्य घोषित नहीं किया गया है। वैद्य दस्तावेज होने से मामला प्रथम दृष्टया अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में बनना पाया जाता है।

2. **सुविधा का संतुलनः**–प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि अप्रार्थी संख्या 1 के अनपढ होने से उसे पंजीकृत हकत्याग पत्र के बारे में जानकारी नहीं है। साथ ही अप्रार्थी सख्या 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को धोखे में रखकर हकत्याग पत्र कराया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा भूमि का अंतरण किये जाने पर वृद्धावस्था में उसकी देखभाल नहीं की जायेगी। अतः अप्रार्थी संख्या 1 को धोखे में रखकर कराये गये हकत्याग पत्र के आधार पर भूमि का अन्तरण होने पर उसे अपूरणीय क्षति होगी जिसकी भरपाई सम्भव नहीं होगी।

अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस का प्रत्यूत्तर देते हुये निवेदन किया कि प्रार्थीया का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा नहीं है, प्रार्थीया वादग्रस्त भूमि की सार–संभाल करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि वह अन्य ग्राम लावडो का बास में रहती है तथा अप्रार्थी संख्या 1 अप्रार्थी संख्या 2 के साथ रहती है तथा वह उसकी पूर्णतया देखभाल एवं सेवा सुश्रुषा करती है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 की देखभाल व सेवा सुश्रुषा से प्रसन्न होकर ही उसके पक्ष में पंजीकृत हकत्याग पत्र निष्पादित कराया है।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा काउण्टर बहस में निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 अनपढ है तथा अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा धोखे में रखकर हकत्याग पत्र निष्पादित कराया गया है।

प्रार्थी एवं अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा की गई बहस के मनन एवं चिंतन उपरान्त यह प्रथम दृष्टया सिद्ध होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में हकत्याग पत्र का पंजीयन करते समय उपपंजीयक द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को दस्तावेज के निष्पादन की पूछताछ की गई होगी एंव अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा दस्तावेज के निष्पादन को स्वीकार करने के उपरान्त ही पंजीकृत किया गया होगा। अतः प्रार्थी अधिवक्ता यह सिद्ध करने में असफल रहा है कि अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को धोखे में रखकर दस्तावेज का निष्पादन कराया गया है।

इस प्रकार सुविधा का संतुलन का बिन्दु प्रार्थीया अपने पक्ष में सिद्ध करने में विफल रही है।

3. **अपूरणीय क्षतिः**– प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक संयुक्त सहखातेदारी भूमि है जिसका अन्तरण विधिक रूप में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थिया की सहमति के बिना नहीं किया जा सकता है। भूमि प्रार्थिया एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को अपने पिता/पति की मृत्यू होने से जरिये उतराधिकार प्राप्त हुई है। जिसका अन्तरण प्रार्थिया की सहमति के बिना संभव नहीं है।

अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस का प्रत्युतर देते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी को भूमि अपने पिता एवं पति की मृत्यू उपरान्त प्राप्त हुई है परन्तु भूमि उनके नाम ही दर्ज होते ही सम्पूर्ण स्वामित्व अप्रार्थीगण को प्राप्त हो गया है। अप्रार्थीगण का स्वामित्व होने से ही उनके द्वारा भूमि अन्तरित की गई है। इस प्रकार भूमि का अन्तरण विरासतन प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में होने से उन्हे पूर्ण स्वत्व प्राप्त हो चुका है।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा काउण्टर बहस में निवेदन किया कि भूमि सहखातेदारी की होने से भूमि के दीगर व्यक्तियों को अन्तरण से पूर्व उसकी सहमति आवश्यक है।

सहायक कलेक्टर
भीलवाड़ा

प्रार्थी एवं अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा की गई बहस उपरान्त प्रथमदृष्टया यह सिद्ध होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में हकत्याग से सहखातेदारों के मध्य ही भूमि का अन्तरण हुआ है। दीगर व्यक्ति के पक्ष में अन्तरण नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी यह सिद्ध करने में असफल रहा है कि अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में किये गये हकत्याग पत्र से पूर्व उसकी स्वीकृति क्यों आवश्यक थी?

इस प्रकार अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रार्थी अपने पक्ष में सिद्ध करने में विफल रहा है तथा दस्तावेज पंजीकृत होने एवं राजस्व रिकॉर्ड में नामान्तरण प्रक्रियाधीन होने का नोट होने के बावजूद भी प्रार्थीया अपने दावे में भूमि अन्तरित करने का प्रयास करने का आरोप लगाकर आई है। अतः दस्तावेज पंजीकृत होने हक त्याग पत्र से सहखातेदारो के मध्य ही भूमि अन्तरित होने से प्रार्थीगण अपने पक्ष में अपूरणीय क्षति साबित करने में असफल रहा है।

—:आदेश:—

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् ग्राम सुन्दरपुरा पटवार हल्का मुझरास भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गुरला तहसील भीलवाड़ा की वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 247/2, 248/2, 252/3 कुल किता 3 कुल रकबा 0.6954 हैक्टयर किस्म बंजड/चाही खसरा नम्बर 204 रकबा 1.0748 हैक्टयर किस्म बंजड़ तथा खसरा नम्बर 253 रकबा 0.0126 हैक्टयर किस्म गै0 मु0 आचा में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है और इस न्यायालय द्वारा विचाराधीन प्रार्थना पत्र में जारी एक पक्षीय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 02.09.2024 को निरस्त किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो।

28/10/24

(अ[illegible] कुमार जैन)

सहायक कलक्टर

भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर

भीलवाड़ा